

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 05, बुधवार, शाके 1947- नवम्बर 26, 2025 Agrahayana 05, Wednesday, Saka 1947- November 26, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्ड, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
विभाग का नाम: उपायुक्त आयोजना (प्रथम), नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010

संख्या एफ13 () उपा. आयोजना प्रथम/ननिग्रेज/2025/02 :- भूखण्ड संख्या 182, डॉक्टर्स कॉलोनी (गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड), जयपुर क्षेत्रफल 500.00 व.ग. का जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पट्टा जारी है। उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2025/जोनल प्लान में मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत दर्शित है। उक्त भूखण्ड का मास्टर प्लान/जोनल प्लान अनुसार मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 24.09.2025 को प्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृति की पालना में प्रश्नगत भूखण्ड के मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ परिवर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 की अधिसूचना दिनांक 28.10.2010 एवं (संशोधन) नियम अधिसूचना दिनांक 24.02.2021, 10.09.2021, 06.11.2024 तथा उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/नियम/परिपत्र विनियम में उल्लेखित समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
2. भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
3. यह केवल आवेदित भूखण्ड के मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूखण्ड के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
4. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुसार भूखण्ड का उपयोग मिश्रित हेतु लिया जावेगा एवं प्रचलित भवन विनियमों अनुसार मानचित्र अनुमोदित करवाया जाना अनिवार्य रहेगा।
5. उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अध्याधीन रहेगा।
6. भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से मिश्रित प्रयोजनार्थ मिश्रित लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी जिसमें प्रावधानानुसार समय-समय पर बढोतरी की जा सकेगी। जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व जमा करानी होगी।

आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राशि 8,56,752/-रूपये एवं मिश्रित प्रयोजनार्थ लीज राशि (मिश्रित) जरिए रसीद संख्या 9003/32174 दिनांक 09.10.2025 द्वारा निगम कोष में जमा है। किन्तु नियमों में परिवर्तन के कारण कोई राशि देय होती है तो जमा करानी होगी।

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन आदेश राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से प्रवृत्त होगा।

डॉ. गौरव सैनी,

आयुक्त,

नगर निगम जयपुर ग्रेटर।